



जनपद बिजनौर  
प्रेसनोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 06.05.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 472/2025 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 29.08.2025 को थाना चांदपुर पर वादी श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन पाल शर्मा निवासी ग्राम कुलचाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी देशी शराब /बीयर की दुकान से बीयर, व देशी शराब की पेटी तथा 01 सीसीटीवी कैमरा मय डीवीआर को चोरी कर लिया गया है।



उक्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 472/2025 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्तगण 1. राजू उर्फ निसार अहमद नि0 ग्राम हथाई थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2. नूर मौहम्मद पुत्र जमील नि0 ग्राम मुण्डा मुकारी थाना नौगावा सादात अमरोहा 3. आमिर पुत्र उमरदराज निवासी मौ0 पतियापाडा एक मिनार मस्जिद के पीछे थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 4. सलमान उर्फ कल्लू पुत्र अनीश अहमद निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 5. अमजद उर्फ बिट्टू पुत्र मौहम्मद खान निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये हैं।

**नोट-** दिनांक 14.09.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण 1.राजू 2.नूर मौहम्मद 3.आमिर 4.सलमान उर्फ कल्लू उपरोक्त को वादी की दुकान से चोरी की गयी 06 पेटी देशी शराब पाऊच मार्का नाइट किंग (मसाला) सहित गिरफ्तार किया गया था तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 331(4)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी।

**कार्यवाही-**

दिनांक 06.05.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमजद उर्फ बिट्टू पुत्र मौहम्मद खान निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अमजद उर्फ बिट्टू पुत्र मौहम्मद खान निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 494 विपिन खोखर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 2309 किशनकान्त दुबे थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना नूरपुर

दिनांक- 06.05.2026

**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा चोरी की गई एक जीवित भैंस, सफेद धातु की चेन एवं नगदी सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**

### संक्षिप्त विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा आज 02 अभियुक्तगण 1.शौकीन पुत्र नवाब व 2.मुजम्मिल उर्फ निजामुद्दीन पुत्र कय्यूम निवासीगण मौहल्ला आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली को एक महेन्द्रा पिकअप न0 HR84A6575 (जिसमे चोरी की गई एक भैस लादकर ले जाया जा रहा था संबंधित मु0अ0सं0 157/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर) व चोरी के 10 हजार रूपये की नगदी (मु0अ0सं0 221/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर) व सफेद धातु की एक चेन (मु0अ0सं0 808/2023 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 914/2023 धारा 380 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर क्षेत्र के ग्राम गावंडी बुजुर्ग से दो भैस व एक भैसा एवं लगभग दो साल पहले थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम धूँधली व ईस्माइलपुर से भी एक भैस व एक भैसा चोरी किया जाना स्वीकार किया गया है जिन्हे बेचकर मिले पैसे में से दस हजार रूपये एवं एक चांदी की चैन अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुई है। घटना में इनके दो साथी हारून पुत्र लालू निवासी मौ0 आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली व लालू पुत्र नामालूम निवासी मौ0 आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली का नाम भी प्रकाश में आया है जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. शौकीन पुत्र नवाब निवासी मौ0 आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली
2. मुजम्मिल उर्फ निजामुद्दीन पुत्र कय्यूम निवासी मौ0 आर्यपुरी थाना कैराना जिला शामली

### अभियुक्त शौकीन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 157/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर
2. मु0अ0सं0 221/2026 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 808/2023 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 914/2023 धारा 380/4141 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### अभियुक्त मुजम्मिल उर्फ निजामुद्दीन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 157/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर
2. मु0अ0सं0 221/2026 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3. मु0अ0सं0 808/2023 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 914/2023 धारा 380/4141 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### **बरामदगी का विवरण –**

1. एक जीवित भैस (सम्बन्धित मु0अ0सं0 157/26 थाना नूरपुर)
2. दस हजार रूपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 221/2026 थाना कोतवाली शहर)
3. सफेद धातु की एक चेन ( सम्बन्धित मु0अ0सं0 808/23 व 914/23 थाना चांदपुर )
4. महेन्द्र बलेरो पीकअप HR84A6575 (घटना में प्रयुक्त वाहन)

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष प्रवेज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. का0 भूदेव सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. का0 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. का0 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना कोतवाली देहात

दिनांक-06.05.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 89/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया है।

### घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

अवगत कराना है कि दिनांक 05.05.2026 को वादी श्री गौतम सिंह पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर गधेली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. धर्मवीर सिंह पुत्र यादराम, 2. उदयवीर पुत्र यादराम सिंह, 3. सुमित पुत्र राजवीर सिंह, 4. दीक्षान्त उर्फ गोल्टी पुत्र धर्मवीर सिंह, 5. वंश पुत्र उदयवीर, 6. पंकज पुत्र धर्मेन्द्र तथा 7. भोलू पुत्र धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम सलेमपुर गधेली द्वारा वादी के घर में घुसकर मारपीट की गई तथा अभियुक्त भोलू द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया, जिससे वादी व उसका पुत्र बाल-बाल बच गए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.05.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वार अभियुक्त दीक्षान्त उर्फ गोल्टी उपरोक्त को 01 अवैध तमंचा 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### अभियुक्त का नाम व पता-

दीक्षान्त उर्फ गोल्टी पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर गधेली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2- का0 2052 नीटू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 3-का0 887 विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 4- 622 संजय सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना किरतपुर

दिनांक-06.05.2026

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 127/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान व घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2026 को वादी श्री शिवा चौधरी पुत्र श्री धनराज चौधरी निवासी ग्राम बूढपुर नैन सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 28/29.04.2026 की रात्री में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पैथोलॉजी लैब की दुकान का ताला तोडकर 02 बैटरे व 01 इन्वर्टर चोरी कर लिया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0- 127/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त 1. राशिद कुरैशी पुत्र मौहम्मद आरिफ निवासी मौहल्ला मुस्तरक थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर 2. अखलाक अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी मौहल्ला कैथौडा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर 3. जमशेद पुत्र असगर निवासी मौहल्ला भूड खतौली रोड कस्बा व थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर के नाम प्रकाश में आये।



### कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 06.05.2026 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तगण 1. राशिद कुरैशी 2. अखलाक अहमद व 3. जमशेद को चोरी किये गये 02 बैटरो व 01 इन्वर्टर व घटना में प्रयुक्त 01 सैंट्रो कार (UP16X0045) सहित गिरफ्तार किया गया है तथा बरादमगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण राशिद व जमशेद द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने तीसरे साथी बब्लू उर्फ सीटी पुत्र शमशाद निवासी मोहल्ला खालापार, थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर के साथ मिलकर दिनांक 28/29 अप्रैल 2026 की रात्री में कस्बा किरतपुर स्थित एक पैथोलॉजी लैब का ताला तोडकर बैटरी व इन्वर्टर चोरी किए थे। उक्त सामान को कार (सैंट्रो) में रखकर ले जाया गया तथा बाद में मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर में अखलाक अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम किथौड़ा थाना मीरापुर को लगभग ₹12,000/- में बेच दिया गया।

अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त सामान चोरी का है एवं उनके पास इसके कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं। प्राप्त धनराशि में से लगभग ₹5,000/- बब्लू उर्फ सीटी को दे दिए गए तथा शेष राशि को व्यक्तिगत कार्यों/शादी आदि में खर्च कर दिया गया।

अभियुक्तों के कथनों के आधार पर प्रकाश में आये शेष अभियुक्त बब्लू उर्फ सीटी उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयाश किये जा रहे है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. राशिद कुरैशी पुत्र मौहम्मद आरिफ निवासी मौहल्ला मुस्तरक थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर
2. अखलाक अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी मौहल्ला कैथौडा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर
3. जमशेद पुत्र असगर निवासी मौहल्ला भूड खतौली रोड कस्बा व थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त राशिद उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 508/2010 धारा 307,452,504 भादवि थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर ।
2. मु0अ0सं0 509/2010, धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर ।
3. मु0अ0सं0 707/2010, धारा 3 गुण्डा एक्ट थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर ।
4. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

### बरामदगी का विवरण-

1. एक बैटरा (UTL SOLAR HEAVY DUTY TUBULAR POWER)
2. एक बैटरा पर (CENTRIA TALL TUBULAR BATTERY)
3. एक इन्वर्टर EAPRO
4. एक सैंट्रो कार रंग सफेद(UP16X0045)

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दीपक नागर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 443 कपिल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3. हे0का 450 अरूण कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 447 गौतम कुमार थाना किरतपुर बिजनौर ।
4. का0 287 चन्द्रशेखर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
5. का0 689 गौरव तेवतिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना हल्दौर

दिनांक-06.05.2026

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 84/2026 धारा 137(2)/74/333 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.04.2026 को वादी ने तहरीर दी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी भतीजी को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गया है ।

इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 084/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सुहैल उर्फ गोलू पुत्र सोमीन निवासी ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



### कार्यवाही का विवरण-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबधित अपहृता उपरोक्त को सकुशल बरामद कर अभियुक्त सुहैल उर्फ गोलू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा अभियोग में धारा 74/333 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुहैल उर्फ गोलू पुत्र सोमीन निवासी ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1983 दुष्यन्त सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर  
प्रेसनोट- थाना धामपुर

दिनांक 06.05.2025

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 156/2026 धारा 333/109(1)/115(2)/126(2)/352/351(3)/121(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.05.2026 को वादी ब्रहमपाल गिरी पुत्र स्व0 मुरली गिरि निवासी ग्राम हसनपुर कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.ओमवेश पुत्र विजयपाल 2. राहुल पुत्र विजयपाल निवासीगण ग्राम तालमपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के कमरों में घुसकर गाली-गलौच की गयी तथा जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डों वार कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी गयी ।

इस सम्बन्ध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 156/2026 धारा 333/109(1)/115(2)/126(2)/352/351(3)/121(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

आज दिनांक 06.05.2026 को मु0अ0सं0 156/2026 धारा 333/109(1)/115(2)/126(2)/352/351(3)/121(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1.ओमवेश पुत्र विजयपाल 2. राहुल पुत्र विजयपाल निवासीगण ग्राम तालमपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

- 1.ओमवेश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम तालमपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.राहुल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम तालमपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

### बरामदगी का विवरण-

- 01 लोहे का सरिया
- 01 लोहे की रॉड
- 01 लकड़ी का डंडा (नुकीला व धारदार)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0निरी0 मृदुल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री गोपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. हे0 का0 803 चरणपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. का0 2179 सौरभ थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5. का0 2574 अमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात**

**दिनांक 06.05.2026**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाल अपचारी को अवैध तमन्चा मय कारतूस सहित पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया ।**

### **कार्यवाही-**

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर तमंचे के साथ वायरल फोटो से संबंधित बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0-91/2026 धारा 9(1)(a)(1)/25(2) आयुध अधिनियम में पंजीकृत कराया गया है । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



### **अभियुक्त का विवरण-**

एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

### **बरामदगी विवरण-**

एक अवैध तमंचा.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

### **पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री परशुराम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- हे0का0 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 3-का0 1912 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक- 06.05.2026

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा चोरी किये गए माल सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.2026 को वादनी बलजिन्दर कौर पत्नी स्व० देवेन्द्र सिंह नि० गुरु नानक कॉलोनी (दरियापुर), थाना-नजीबाबाद, जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा घर में घुसकर मकान की बिजली की फिटिंग की वायरिंग काट कर चोरी कर ली गई है ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु०अ०स०-212/2026 धारा 305(क) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही:-

आज थाना नजीबाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त तसव्वर पुत्र तालीम अहमद निवासी अजुपुरा रानी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक का कट्टा जिसमें चोरी किया गया बिजली का कटा हुआ तार बरामद हुआ । माल बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### बरामदगी का विवरण

बिजली के तार के टुकड़े (वजन करीब 04 किलोग्राम)

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तसव्वर पुत्र तालीम अहमद निवासी अजुपुरा रानी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० नरेन्द्र शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.का० 66 विवेक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.का० 1572 शादाब थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर